संo-20/2017/459/29-3-2017-ब 706/2016

प्रेषक

जी0पी0 कमल

विशेष सचिव

उत्तर पदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त्

खाद्य तथा रसद विभाग

जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017 -18 के लेखानुदान के अन्तर्गत अवशेष सात माहों (सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक) के लिये आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक-''2408-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन धनराशि का आवंटन ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0- सं0-15//2017/173 /29-3-2017-ब 706/2016 दिनांक 9-5-2017 जिसके द्वारा लेखानुदान अवधि (पांच माह) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 3-8-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रा राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष सात माहों (सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक) के लिये अनुदान सं0-21 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत उनके सम्मुख धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

<u>अनुदान सं0-21</u>

लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम <u>8499.23</u>

(रू0 चौरासी करोड़ निन्यानवे लाख तेइस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

0401-राज्य खाद्य आयोग

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10.48
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	29.52
	योग	40.00

0402-जिला शिकायत निवारण कार्यालय

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	01-वेतन	-27.91
2	02-मजदूरी	0.01
3	03-महंगाई भत्ता	0.64
4	04-यात्रा व्यय	52.50
5	05-स्थानान्तरण यात्र व्यय	2.62
6	06- अन्य भत्ते	12.63
7	07-मानदेय	0.01
8	08-कार्यालय व्यय	13.12
9	09-विद्युत व्यय	6.56
10	10-जलकर/जल प्रभार	2.62
11	11-लेखनी सामग्री व फार्मो की छपाई	6.56
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13.12
13	13-टेलीफोन पर व्यय	6.56
14	14-स्टाफ कारो एवं मोटर गाड़ियो का क्रय	-28.18
15	15-गाडियों का अनुरक्षणएवं पेट्रोल आदि की खरीद	157.50
16	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्ववामित्व	15.75
17	42-अन्य व्यय मतदेय	6.56
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.62
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेश्नरी का क्रय	2.62
20	49-चिकित्सा व्यय	0.01

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	51-वर्दी व्यय	0.01
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष राजकीय	33.58
	योग	277.51

0403-शिकायत निवारण प्रणाली

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	02-मजदूरी	1.49
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.15
3	13-टेलीफोन पर व्यय	4.39
4	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.73
5	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.29
	योग	7.05

0404-पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण हेत सर्वेक्षण

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	07-मानदेय	0.01
2	08-कार्यालय व्यय	0.01
3	18-प्रकाशन	432.00
4	19-विज्ञापन विक्री एवं विख्यापन व्यय	0.01
	योग	432.03

0405-खाद्य सुरक्षा की अनुपलब्धता पर खाद्य सुरक्षा भत्ता

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	27-सब्सिडी	142.64
	योग	142.64

0409-राशन कार्डो में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1	42-अन्य व्यय	7600.00
	योग	7600.00

लेखाशीर्षक 2408-402-जिला शिकायत निवारण कार्यालय के मानक मद-01-वेतन एवं मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के अन्तर्गत किसी भी दशा में मूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

बजट में प्राविधानित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनरशि को समायोजित करते हुए कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश सं0-15//2017/173 /29-3-2017-ब 706/2016 दिनांक 9-5-2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही यह भी कि मोटर गाड़ियों के क्रय मद में धनराशि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही उपयोग की जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओ पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नई मदों के क्रियान्वयन के लिये न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथव अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशो का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रति पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माह वार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रति माह पूरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 /वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा ताकि राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

7- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

10- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय। उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या-मतदेय/भारित का भी उल्लेख अवश्य किये जाय।

11- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रति माह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

12- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में विल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 3-8-2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

13- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के अधीन प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

(जी0पी0 कमल)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संं0-   /2017/459(1)/29-3-2017-ब 706/16टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।

5- स्थानिक प्रतिनिधि स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय द्वितीय तल 12ए नेताजी सुभाष रोड कोलकाता।

6- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।

8- अनुभाग अधिकारी (लेखा)खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 शासन।

9- अनुभाग अधिकारी खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।